



अंत्योदय – सरल



## हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड

पुनः आवंटन पत्र जारी करना

(सेवा)

### योग्यता

मंडियो में किसी प्लॉट/सम्पति का मालिक।

### प्रदान किया गया लाभ

किसी भी मार्केट कमेटी में प्लॉट /सम्पति धारक हस्तांतरण विलेख से पहले सम्पति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरण के लिए इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

### आवश्यक कागजात

1. परिवार पहचान पत्र
2. पहचान प्रमाण यानि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, (इनमें से कोई एक)
3. आबंटी व खरीददार से विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र ।
4. आबंटी व खरीददार से विधिवत हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति पत्र
5. आबंटी व खरीददार द्वारा स्वयं घोषित /वचनबद्धता पत्र ।
6. मूल आवंटी की सहमति ।
7. खरीददार का नमूना हस्ताक्षर ।

### सेवा के लिए शुल्क

सरकारी फीस	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क	विभाग के स्तर पर भुगतान किया जाने वाला विभाग शुल्क	
			प्रोसेसिंग फीस	प्रशासनिक शुल्क
कोई फीस नहीं	30/-₹0 प्रति आवेदन	30/-₹0 प्रति आवेदन	1000/-	1000/-

आर.टी.एस. समय सीमा: 30 दिन